सं॰ 2-6/2007/केबल-दूरभाष

भा.वा.अनु.शि.प. - वन अनुसंधान संस्थान

डाकघर: न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006

दिनांक: 04 अप्रैल, 2024

परिपत्र

प्रायः ऐसा देखने में आया है कि अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ, व.अ.स. के अधीनस्थ सिविल एवं विधुत अनुभाग के द्वारा सिविल/ विधुत के मरम्मत एवं रखरखाव कार्य (Contract works) ठेके पर कराये जाते हैं तथा कुछ कार्य CCU और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा भी कराये जाते हैं। जिनमें कार्य के दौरान संबन्धित ठेकेदार खुदाई के दौरान टेलीफोन की भूमिगत केबल तथा सरकारी भवनो/आवासों के मरम्मत कार्य के दौरान टेलीफ़ोन की वायरिंग-फिटिंग चैनल सहित उखाड़ कर/काटकर अलग कर देते हैं अथवा फिटिंग से उखाड़ कर अव्यवस्थित हालत में छोड़ देते हैं। कई जगह भवनो/आवासों की बाहरी दीवालों से भूमिगत केबल भी उखाड़ कर/काटकर अलग कर दी जाती हैं इसकी वजह से टेलीफोन वायरिंग एवं टेलीफोन नेटवर्क तो कमजोर हो रहा है फलस्वरुप तारों में कई जोड़ लगाने पड़तें हैं जिस कारण बार-बार टेलीफोन में खड़खड़ाहट (Disturbance) की शिकायत आती है। इसके अतिरिक्त कई जगहों पर गड्ढा बनाने या नाली खोदने हेतु ठेकेदार द्वारा गड्ढे की खुदाई का कार्य जे॰सी॰बी॰ से कराने के कारण भूमिगत टेलीफ़ोन केबल को काट/उखाड़ दिया जाता है जिससे संस्थान का दूरभाष संचार नेटवर्क पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तथा सड़क की मरम्मत हेतु सड़कों के किनारे तारकोल पिघलाने के लिए भट्टी लगायी जाती है जिससे उस स्थान से जा रही भूमिगत केबल भट्टी की गर्मी/आग से जल जाती है।

संस्थान परिसर में सिविल/ विधुत के मरम्मत एवं रखरखाव कार्य अथवा कोई भी नया कार्य जैसे भवनो का निर्माण/ नवीनीकरण/ सड़कों/ विधयुत केबलों/ पेयजल लाइनों/ शौचालय का गड्ढा के लिए खुदाई इत्यादि की सूचना कार्य आरम्भ करने से पूर्व संबन्धित विभाग/प्रभाग/अनुभाग द्वारा दूरभाष केंद्र, व.अ.स. को नहीं दी जाती है तथा टेलीफोन नेटवर्क बन्द हो जाने के पश्चात ही दूरभाषधारक द्वारा टेलीफोन की शिकायत दर्ज कराने पर इस कार्यालय को सूचना मिलती है।

उपरोक्त के संबंध में पुनः निवेदन है कि संस्थान परिसर में जब भी किसी विभाग/प्रभाग/अनुभाग दवारा भवनों का निर्माण/ नवीनीकरण/ सड़कों की मरम्मत/विधयुत केबलों/ पेयजल लाइनों/ शौचालय के गड्ढे के लिए खुदाई इत्यादि कार्य कराया जाता है तो सम्बन्धित विभाग/प्रभाग/अनुभाग, दूरभाष केन्द्र, व.अ.स. को अवश्य सूचित करें तथा स्थलीय निरीक्षण के उपरांत ही खुदाई एवं मरम्मत का कार्य आरंभ करना चाहिए। यहाँ यह भी संज्ञान में लाना आवश्यक है कि किसी भी मामले में जे॰सी॰बी॰ मशीन से खुदाई कराने की अनुमति सक्षम अधिकारी से ली जानी आवश्यक होगी।

अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ, व.अ.स. के निविदा/ कार्यादेश की निबंधन एवं शर्तों (Terms & Conditions) में स्पष्ट रुप से यह शर्त भी होनी चाहिये कि कार्यालय एवं आवासों की मरम्मत कार्य, खुदाई कार्य एवं किसी भी प्रकार के अन्य कार्यों के दौरान सरकारी भवनो एवं आवासों की टेलीफोन की वायरिंग/भूमिगत केबल/उपकरण को क्षति पहुंचाने/काटने की स्थिति में पूर्ण रुप से मरम्मत सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जाएगी और अन्यथा की स्थिति में संबन्धित विभाग/प्रभाग/अनुभाग द्वारा उस कार्य को कराने में हुए समस्त खर्च की राशि की कटौती संबन्धित ठेकेदार के बिल से करानी होगी।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

एस के थॉमस 4/4/24

(एस. के. थॉमस, भा॰व॰से॰)

कुलसचिव,

भा॰वा॰अनु॰शि॰प॰-वन अनुसंधान संस्थान।

मानक वितरण

प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी, आई॰टी॰ प्रकोष्ट, वन अनुसंधान संस्थान को संस्थान की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/4/24

for website